राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1315/2007/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वृत प्रथम, राजस्थान जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स दीपक वैजप्रो प्रा0 लि0,
पुराना इण्डस्ट्रीयल एरिया, अलवर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री एन.के. बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से
श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 05.10.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 15/उपा–भरत/2004–05/सीएसटी में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 04.01.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन वृत प्रथम, राजस्थान जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2001–02 हेतु केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **"केन्द्रीय अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 29 के तहत पारित आदेश दिनांक 16.06.2004 में आरोपित कर रूपये 3,62,805/–, ब्याज रूपये 1,85,030/– एवं शास्ति रूपये 7,25,610/– को अपास्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी द्वारा मैसर्स तिनसुखिया ट्रेडिंग कम्पनी, तिनसुखिया व मैसर्स मायाराम भगवानदास, तिनसुखिया को बिक्री हेतु सरसों तेल भिजवाया गया व उक्त व्यवसाईयों द्वारा प्रत्यर्थी को जो "एफ" फार्म भिजवाये गये उनकी जांच पर पाया गया कि उक्त व्यवसाईयों द्वारा प्रत्यर्थी से बिक्री के कोई संव्यवहार नहीं किये गये है। अतः उक्त घोषणा पत्र/बिक्री संव्यवहार सत्यापित नहीं होने पर उक्त दोनों क्रेता व्यवसाईयों द्वारा दर्शायी गई बिक्री रूपये 1,81,40,226/– को अन्तर्राज्यीय बिक्री मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत की दर से कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय अधिकारी ने स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को अपास्त किया एवं प्रकरण पुनः जांच पश्चात आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 85 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

निरन्तर.....2

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 04.01.2007 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपना विस्तृत आदेश दिनांक 30.01.2009 को पारित कर दिया है एवं उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 30.01.2009 की प्रति पेश कर कथन किया कि मैसर्स तिनसुखिया ट्रेडिंग कम्पनी एवं मैसर्स मायाराम भगवानदास द्वारा प्रत्यर्थी को जारी "एफ" फॉर्म का सत्यापन कर निर्धारण अधिकारी ने अपने स्तर पर करवा लिया है, अतः ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 16.06.2004 सारहीन होने से निष्प्रभावी हो जाता है एवं विवादित अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी "सारहीन" हो गयी है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

   (i) सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)
   (ii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर.टी.जे.एस 8 । (राज.)
   (iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)
   (iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

5. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में यह पाये जाने पर कि अपीलीय आदेश में दिये गये निर्देशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वांछित जांच पश्चात दिनांक 30.01.2009 को यथोचित आदेश जारी कर अपीलीय आदेश की पालना कर दी है जिससे प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी हो गई है।

6. परिणामतः राजस्व की यह अपील निष्प्रभावी (infructuous) हो जाने से अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

05.10.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य